न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2024 G.C.M.S. No. 2024/337 दर्ज दिनांक : 03.09.2024

अपीलार्थी:

1. सोनीदेवी पत्नि कुपाराम, जाति जणवा चौधरी, निवासी रडावा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 69/2022 बअनवान सरकार बनाम सोनीदेवी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, श्री चन्द्रगुप्त चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राज पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 22.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 69/2022 बअनवान सरकार बनाम सोनीदेवी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम पुनाडिया, तहसील बाली के खसरा नम्बर 842/116 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है, जो अपीलाण्ट के स्वयं की हक, हकूक व खातेदारी की जमीन है। जिस पर अधीनस्थ अधिकारी भूमिधारी तहसीलदार अपीलाण्ट से रंजिश रखते हुए बिना नोटिस दिये हुये तथा बिना साक्ष्य लिए ही अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के द्वारा (1) अधिसूचना क्र.मा.प.6 (5) राज. 6/2001/32 दिनांक 28–05–2002 का राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम (5) क के तहत 2500 वर्गमीटर तक प्रत्येक काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि पर अकृषि कार्य करने की छुट दी गई थी। इसके अलावा अपीलाण्ट को बाकी तथ्यों की जानकारी नहीं है कारण कि अपीलाण्ट महिला है, अनपढ है, इस कारण से अधिनस्थ अधिकारी ने जो बेदखली का आदेश दिया है उससे पूर्व अधिनस्थ अधिकारी, तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ने अपीलाण्ट को यह जानकारी नहीं दी की कृषि कार्य को अकृषि करने के पूर्व उस जमीन का संपरिवर्तन करना जरूरी है अन्यथा खातेदार पर कानूनी कार्यवाही होगी, ऐसा ना तो पटवारी व आर. आई ने कहा न ही अधिनस्थ भूमिधारी ने कहा, तहसीलदार ने रंजिश रखते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध खातेदारी हक को सिवाय चक करने की कार्यवाही की है जो बदले की भावना से की हैं। धारा 177 के राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 में नियम बने हुए है यदि भूमिधारी डिक्री या आदेश की तारीख से 3 माह समय के भीतर जो न्यायालय के द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुमत करें, नुकसान की पूर्ति करने तथा ऐसे मुआवजों का जो न्यायालय उचित समझे संदाय कर दे तो ऐसी डिक्री के आदेश का निष्पादन नहीं किया जायेगा। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी कर आदेश के अन्दर ही सिवाय चक आराजी को कर दी। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 07–08–2024 को होने से अपीलाण्ट ने उक्त आराजी का कृषि भूमि से अकृषि संपरिवर्तन करने की पत्रावली तैयार कर सक्षम अधिकारी के पास पेश कर दी है। उक्त पत्रावली का आदेश दिनांक 18–05–2024 को हुआ मगर अपीलाण्ट की जानकारी में नहीं था, अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के पास दिनांक 30–07–2024 को गई तो इस आदेश की जानकारी हुई तब अपीलाण्ट ने इस आदेश को पेश किया जो नकले तैयार होकर अपीलाण्ट को दिनांक 07–08–2024 को प्राप्त हुई तथा अपीलाण्ट को नकले मिलने के बाद पाली आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया पश्चात् पाली में अतिवृष्टि होने से तथा अपीलाण्ट महिला होने से अकेली होने से एवं राखी त्यौहार होने से अपील देरी से पेश की जा रही हैं, जो जान बुझकर नहीं की है, इस कारण से देरी को कण्डोन कर अपील म्याद में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा अपीलांट अप्रार्थी खातेदार के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2024 को एकपक्षीय स्वीकार कर अपीलांट के खातेदार अधिकार विलोपित

राजस्व अपील प्राधिकारी

पाली

करते हुए वादग्रस्त आराजीयात को सिवायचक घोषित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 07–08–2024 को होने से अपीलाण्ट ने उक्त आराजी का कृषि भूमि से अकृषि संपरिवर्तन करने की पत्रावली तैयार कर सक्षम अधिकारी के पास पेश कर दी हैं। उक्त पत्रावली का आदेश दिनांक 18–05–2024 को हुआ मगर अपीलाण्ट की जानकारी में नहीं था, अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के पास दिनांक 30–07–2024 को गई तो इस आदेश की जानकारी हुई तब अपीलाण्ट ने इस आदेश को पेश किया जो नकले तैयार होकर अपीलाण्ट को दिनांक 07–08–2024 को प्राप्त हुई तथा अपीलाण्ट को नकले मिलने के बाद पाली आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया पश्चात् पाली में अतिवृष्टि होने से तथा अपीलाण्ट महिला होने से अकेली होने से एवं राखी त्यौहार होने से अपील देरी से पेश की जा रही हैं। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंबकाल अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 22.01.2022 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजीयात में अकृषि कार्य मार्बल कारखाना संचालित कर कृषि के लिए हानिप्रद कार्य किए जाने का आरोप लगाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.08.2023 को अप्रार्थी का जवाब बंद कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा बाद बहस अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

5. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का संपरिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो लंबित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि धारा 177 के प्रकरण में काश्तकार को 3 माह का समय दिये जाने का कानूनन प्रावधान है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट खातेदार को अवसर दिए बिना खातेदारी अधिकार समाप्त कर सिवायचक कर दी गई। जो काबिल अपास्त है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट खातेदार को क्षतिपूर्ति किये जाने का अवसर दिये बिना खातेदारी अधिकार समाप्त कर कृषि आराजी सिवायचक की गई। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) में यह आज्ञापक प्रावधान है कि ***"धारा 178 (2) – उक्त डिक्री या आदेश से यह भी निदेश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आदेश की तारीख से 3 माह के अंदर या ऐसी आगे बढ़ाई गई अवधि के अंदर जिसके लिए न्यायालय कारण लिखकर अनुमति दें, टूट–फूट की मरम्मत करवा दें या ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दें जो न्यायालय उचित समझे, तो डिक्री या आदेश को लागत के अलावा अन्य किसी के लिए निष्पादन नहीं किया जाएगा।"*** विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट है। जो दूषित व त्रुटिपूर्ण है।

8. धारा 178 (1) में यह प्रावधान है कि न्यायालय मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आसामी को समस्त भूमि क्षेत्र से या उसके किसी भाग से बेदखल करने का निर्देश दे सकेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का रकबा 0.08 हैक्टेयर है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि खातेदार द्वारा उक्त आराजी के किस भाग का, किस रूप में अकृषि कार्य किया जा रहा है। संबंधित तहसीलदार द्वारा भी इस पर कोई गौर किए बिना व स्वयं द्वारा कोई जांच किए बिना महज अस्पष्ट पटवारी मौका फर्द के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो दूषित होने से त्रुटिपूर्ण है।

9. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि प्रयोग किए जाने की दशा में संपरिवर्तन के लिए विहित शुल्क का चार गुना शास्ती संबंधित काश्तकार से वसूल कर नियमन किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जो लंबित है। विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अपीलांट खातेदार को विकल्प दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

10. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 69/2022 बअनवान सरकार बनाम सोनीदेवी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) एवं संगत संपरिवर्तन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट को जवाब व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश 16, 18, 19 व 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 24.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जिला कलक्टर पाली एवं तहसीलदार बाली को प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **22.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner